

मक निस्तारण Muck Disposal प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रेणुकूट वन प्रभाग के अनपरा/पिपरी रेंज के अन्तर्गत मैसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिविजन) को भारत सरकार के आदेश संख्या 8-10/94-एफ.सी. दिनांक 14.10.96 एवं उ0प्र0 राज्य सरकार के आदेश संख्या 6619/14-2-97-145(233)/94 दिनांक 22 मई, 1998 द्वारा रेणुसागर पावर प्लांट से हिण्डालको प्लांट, रेणुकूट तक वर्ष 1966 से 38.2591 हेक्टेयर वन भूमि पर निर्मित 132 के.बी. विद्युत पारेषण लाईन के पट्टे का 25 वर्षों के लिये (दिनांक 09.02.1991 से 08.02.2016 तक) उपरोक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया गया था। लीज पर दी गयी उपरोक्त 38.2591 हेक्टेयर वनभूमि को पुनः 25 वर्षों हेतु (दिनांक 09.02.1916 से 08.02.2041 तक) लीज पर लिये जाने की आवश्यकता है। उक्त वनभूमि पर पारेषण लाईन पूर्व में निर्मित है, वर्तमान में इस पर कोई भी निर्माण नहीं किया जाना है जिसके कारण मक (Muck) नहीं निकलेगा और इसके निस्तारण की आवश्यकता नहीं है।

For - Hindalco Industries Limited
Authorized Attorney



My

व्यवसायिक वन संरक्षक/अधीनारी

ज.र.
प्रभागीय वन्यधिकारी
रेणुकूट वन प्रभाग
रेणुकूट - संनभद्र

S

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज

रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, सोनभद्र